Form no 111

फर्म अदालत

(नियम 133)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

परविन्द्र सिंह बनाम मुकन्द सिंह आदि

अन्तर्गत धारा — धारा 212 आर.टी.ए. विविध संख्या — 72 / 2021

वाद संख्या — 125 / 2021

	इस पत्र के कार्यवाही का इतिविवरण आदेश	
6.04.2021	यह वाद पत्र वादी की ओर से श्री राजीव कुलश्रेष्ठ अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा धारा 88,188 आर.टी.ए. के साथ धारा 212 आर.टी.एक्ट शीर्षक परविन्द्र सिंह बनाम मुकन्द सिंह आदि" प्रस्तुत किया गया है पत्रावली में सरिश्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण सम्मन द्वारा तलब किया जावे पत्रावली तलबी दिनांक 24.05.2021 को पेश हो।	
	सत्यमेव जयते	
17/08/21	पत्रावली पेशी के आज 1 बजे आदेश की प्रतीक्षा में जारी [illegible] पत्रावली में जारी [illegible] 19/8/21 को पेश हो।	
19/8/21	पत्रावली पेश हुई। इस पत्रावली के संबंधित मुख्तयार वादी/वादी के द्वारा वादी व अधिवक्ता के अदम हाजरी होने की वजह से Withdraw का प्रार्थना पत्र लिखा गया है। अतः इस प्रार्थना पत्र को [illegible] है तो कोई अब मुख्तयार [illegible] इस प्रार्थना पत्र को [illegible] जाता है।	

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Avi Garg
Date: 2021.09.06 12:41:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़